35

संख्या-1290/X-2-2014-12(29)/2012

प्रेषक,

मनोज चन्द्रन,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 देहरादून **दिनांक 02 जुलाई 2014**

विषय:- वन विभाग के अनुदान सं0-27 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 के आयोजनागत पक्ष की राजस्व पक्ष की योजना "अधिकारियों और कर्मचारियों का मानव संसाधन विकास" योजना में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2014-15 की आय-व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-318/XXVII(1)/2014 दि0 18 मार्च, 2014 एवं शासनादेश सं0 80/अ0मु0स0/पी0एस0/2014-15 दि0 23 अप्रैल, 2014 में दिये गये निर्देशों के आलोक में एवं उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून के प0सं0 नि0-1794/3-5 (अधि0कर्म0मा0संसा0वि0), दि0 17 मई, 2014 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के आयोनागत पक्ष की **"अधिकारियों और कर्मचारियों का मानव संसाधन विकास"** योजना में चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिये प्राविधानित आय-व्ययक ₹ 66,00,000/- के सापेक्ष सम्यक विचारोपरान्त ₹ 62,00,000/- (₹ बासठ लाख मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं :-

1. विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-318/XXVII(1)/2014 दि0 18 मार्च, 2014 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के आलोक में कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। साथ ही सक्षम स्तर की अनुमति/यथास्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही विभिन्न मदो में व्यय किया जाय।
2. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. नियमानुसार एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किस्तों में धनराशि आहरित एवं व्यय की जायेगी।
4. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आंगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण एवं तदोपरान्त वित्तीय/प्रशासनिक और तकनीकी/प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ही आहरण एवं व्यय किया जायेगा।
5. बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है. अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
6. आपके निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि आहरण-वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय जिससे फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।
7. आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण निर्धारित बी0एम0-प्रपत्र पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा।
8. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय को फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा, जिससे की राज्य स्तर पर कैश-फ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।
9. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि मजदूरी तथा व्यावसायिक सेवाओं के लिये भुगतान मदों के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से कार्मिकों की संख्या सम्बन्धित ईकाई में समकक्ष स्तर के स्वीकृत परन्तु रिक्त पदों की अधिकतम सीमा अन्तर्गत अथवा वित्त विभाग की पूर्व सहमति से स्वीकृत सीमा, इनमें से जो भी कम हो, के अन्तर्गत ही रहेगी।

क्रमशः.......2

10. मानक मदों के आहरण प्रणाली के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-ब-06/X-2-2010-12(11)/2009 दिनांक 31 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।

11. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति का आवंटन पत्र कम्प्यूटर के माध्यम से जनरेट किया गया है एवं इसका Allotment Id S1406270010 है। आप भी अपने स्तर से अधिनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों को कम्प्यूटर के माध्यम से online बजट आवंटन करना सुनिश्चित करेंगे।

12. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों से कराये जाने वाले कार्यों की सूचना सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1638/XXX-1-12(25)2011, दिनॉक 8 दिसम्बर, 2011 द्वारा अपेक्षित राज्य सरकार की वेबसाइट www.ua.nic.in तथा विभाग की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जायेगी और उन्हें समय-समय पर अध्यावधिक किया जायेगा।

2- उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष अनुदान संख्या-27 के लेखा शीर्षक 2406 वानिकी तथा वन्य जीवन 01 वानिकी 800 अन्य व्यय 06-00 अधिकारियों और कर्मचारियों का मानव संसाधन विकास हेतु निम्नलिखित सूची में अंकित विवरणानुसार संगत मदों के नामे डाला जायेगा। इस प्रयोजन हेतु Online Budget Allotment की हार्ड कॉपी भी संलग्न की जा रही है:-

(धनराशि हजार में)

क्र0 सं0	योजना का नाम/लेखा शीर्षक/मानक मद		परिव्यय (प्रस्तावित)	आय-व्ययक 2014-15	वर्तमान वित्तीय स्वीकृति
1	2406-	वानिकी तथा वन्य जीवन			
	01-	वानिकी			
	800-	अन्य व्यय			
	06-00-	अधिकारियों और कर्मचारियों का मानव संसाधन विकास	20000		
	02-	मजदूरी		300	300
	04-	यात्रा व्यय		200	200
	07-	मानदेय		100	100
	08-	कार्यालय व्यय		300	300
	09-	विद्युत देय		200	200
	15-	गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद		500	500
	18-	प्रकाशन		200	200
	19-	विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय		100	100
	26-	मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र		200	200
	29-	अनुरक्षण		400	400
	42-	अन्य व्यय		400	0
	44-	प्रशिक्षण व्यय		3500	3500
	46-	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय		100	100
	47-	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय		100	100
		कुल योग	20000	6600	6200

(वर्तमान वित्तीय स्वीकृति ₹ बासठ लाख मात्र।

3- यह आदेश वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-318/XXVII(1)/2014 दि0 18 मार्च, 2014 एवं शासनादेश संख्या-80/अ0मु0स0/पी0एस0 दि0 23 अप्रैल, 2014 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोक्त।

भवदीय,

(मनोज चन्द्रन)
अपर सचिव

क्रमशः.......3

संख्या- 1290 /X-2-2014, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
2. महालेखाकार(ए एण्ड ई), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य वन संरक्षक, सर्तकता एवं कानून प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून।
11. सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

(मनोज चन्द्रन)
अपर सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20142015

Secretary, Forest (S016)

आवंटन पत्र संख्या - 1290/X-2-2014-12(29)/2012

अनुदान संख्या - 027

अलोटमेंट आई डी - S1406270010

आवंटन पत्र दिनांक -02-Jun-2014

HOD Name - Principal Chief Conservator of Forest (4260)

1: लेखा शीर्षक 2406 - वानिकी तथा वन्य जीवन

01 - वानिकी

800 - अन्य व्यय

06 - अधिकारियों और कर्मचारियों का मानव संसाधन वि

00 - वन पंचायत एवं वन विभाग के कर्मचारियों का प्रशिक्षण

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
02 - मजदूरी	0	300000	300000
04 - यात्रा व्यय	0	200000	200000
07 - मानदेय	0	100000	100000
08 - कार्यालय व्यय	0	300000	300000
09 - विद्युत देय	0	200000	200000
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्र	0	500000	500000
18 - प्रकाशन	0	200000	200000
19 - विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन	0	100000	100000
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण औ	0	200000	200000
29 - अनुरक्षण	0	400000	400000
44 - प्रशिक्षण व्यय	0	3500000	3500000
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	0	100000	100000
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी	0	100000	100000
	0	**6200000**	**6200000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 6200000